मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XV | अंक 10 | अप्रैल 2020

विषयवस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	गवर्नर ने तरलता और विनियामक उपायों की घोषणा की	1
II.	विनियमन	2
III.	वित्तीय बाजार परिचालन	3
IV.	सरकार का बैंक	3
V.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	4
VI.	मौद्रिक नीति	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcirrbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

गवर्नर ने तरलता और विनियामक उपायों की घोषणा की

COVID-19 महामारी के मद्देनजर, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने 17 अप्रैल 2020 को राष्ट्र के लिए टेलीविज़न के माध्यम से वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने COVID -19 से संबंधित अव्यवस्थाओं का सामना करने के लिए तथा बैंक ऋण प्रवाह को सुविधा और प्रोत्साहन प्रदान करने; वित्तीय तनाव कम करने और बाजारों को सामान्य रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए प्रणाली और उसके घटकों में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने के उद्देश्य से कई अतिरिक्त उपायों की घोषणा की। घोषणा की मुख्य बातें हैं:

चलनिधि उपाय

i) चलनिधि प्रबंधन

गवर्नर ने कहा कि रिज़र्व बैंक उपयुक्त आकार की किश्तों में ₹ 50,000 करोड़ की कुल राशि के लिए लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ 2.0) आयोजित करेगा। लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) विंडो की दूसरी किश्त द्वारा केवल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ₹ 50,000 करोड़ रुपए की राशि उधार दी जाएगी और इतनी ही राशि एनएचबी, सिडबी और नाबार्ड को पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दी जाएगी। एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) सहित छोटे और मध्यम आकार के कॉरपोरेटों की चलनिधि पहुंच पर COVID -19 महामारी से उत्पन्न गंभीर प्रभाव को देखते हुए यह घोषणा की गई।

ii) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं

श्री दास ने घोषणा की कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को ऋण देने के माध्यम से एनबीएफसी में ₹ 1 लाख करोड़ के वित्त पोषण का एक नया चलन लक्ष्य बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है सख्त वित्तीय स्थितियों के कारण बाजार से संसाधन जुटाने में नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए पेकिंग क्रम में नीचे की जरूरतमंद संस्थानों तक ऋण प्रवाहित करना। तदनुसार, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को ₹ 50,000 करोड़ की कुल राशि के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें क्षेत्रीय ऋण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

iii) चलनिधि समायोजन सुविधा: स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो दर

गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में निवेश और ऋण में अधिशेष निधियों का नियोजन करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.0 प्रतिशत से 25 आधार अंकों से कम करते हुए 3.75 प्रतिशत किया गया था। पॉलिसी रेपो दर 4.40 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है, और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

iv) राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम

राज्यों को COVID-19 के नियंत्रण और शमन के प्रयासों को करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उन्हें अपने बाजार उधारों का बेहतर नियोजन करने के लिए सक्षम बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा को वर्तमान स्तर के ऊपर 60 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध रहेगी।

विनियामक उपाय

i) परिसंपत्ति वर्गीकरण

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुमति दी है कि वे जिन खातों के लिए अधिस्थगन का फैसला किया गया है और जो खाते 1 मार्च 2020 को मानक रहे थे, उन दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के चूककर्ता

के रूप में वर्गीकरण पर रोक लगा सकते है। एनपीए मानदंड अधिस्थगन अवधि के अतिरिक्त होंगे ।अर्थात् 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक ऐसे सभी खातों के परिसंपत्ति वर्गीकरण पर रोक लगाई (स्टैंडस्टिल) जायेगी। निर्धारित लेखांकन मानकों के तहत अपने उधारकर्ताओं को इस तरह की राहत देने के लिए एनबीएफसी के पास लचीलापन रहेगा।

ii) समाधान समय-सीमा का विस्तार

वर्तमान अस्थिर वातावरण में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने अपने विवेकपूर्ण ढांचे के अनुसार तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की समाधान समय-सीमा को 90 दिनों तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

iii) लाभांश वितरण

COVID-19 संबंधित आर्थिक आघात के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को सलाह दी कि वे 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंधित मुनाफे से अगले अनुदेशों तक कोई लाभांश भुगतान न करें।

iv) चलनिधि कवरेज अनुपात

व्यक्तिगत संस्थानों के स्तर पर चलनिधि की स्थिति को आसान बनाने के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक कम किया जा रहा है। एलसीआर आवश्यकता को धीरे-धीरे दो चरणों में- 1 अक्टूबर 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2021 तक 100 प्रतिशत के रूप में पुनर्स्थापित किया जायेगा।

v) एनबीएफसी द्वारा वाणिज्यिक अचल संपत्ति परियोजनाओं के लिए ऋण

रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को प्रमोटरों के नियंत्रण के बाहर के कारणों से देरी के लिए वाणिज्यिक अचल संपत्ति परियोजनाओं के लिए ऋण के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख को अतिरिक्त एक वर्ष से बढ़ाने की अनुमति दी ।

गवर्नर का पूरा बयान पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

II. विनियमन

COVID-19 विनियामकीय पैकेज

क. समाधान समयावधि की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2020 को निर्णय लिया कि:

i) उधारदाताओं को 30 दिनों की समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिनों के भीतर चूककर्ता संस्थाओं के संबंध में एक समाधान योजना लागू करनी चाहिए। उन खातों के संबंध में जो 01 मार्च 2020 को समीक्षा अवधि के अधीन थे, उनके लिए 01 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक की अवधि, समीक्षा की 30-दिवसीय समयावधि की गणना से बाहर रखी जाएगी और अवशिष्ट समीक्षा अवधि 01 जून 2020 से फिर से शुरू होगी। इसकी समाप्ति पर, उधारदाताओं के पास समाधान के लिए सामान्य 180 दिन होंगे।

ii) उन खातों के मामले में जहां 01 मार्च 2020 को समीक्षा अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन 180 दिन की समाधान समयावधि समाप्त नहीं हुई थी, समाधान समयावधि 90 दिनों तक उस तारीख से बढ़ जाएगी, जिस दिन 180 दिन की अवधि मूल रूप से समाप्ति के लिए निर्धारित की गई थी ।

iii) विस्तारित समाधान समयावधि के समाप्त हो जाने पर विवेकपूर्ण ढांचे के अनुसार निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रावधानों को बनाने की आवश्यकता को आरंभ किया जाएगा।

iv) ऋण देने वाली संस्थाएँ उन खातों के संबंध में प्रासंगिक खुलासे करेंगी जहाँ 30 सितंबर 2020 को समाप्त होने वाले आधे वर्ष के लिए और वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2021 की समाप्ति के साथ-साथ वित्तीय विवरण तैयार करते समय समाधान समयावधि को 'नोट्स टू अकाउंट्स 'में विस्तारित किया गया था।

v) अन्य सभी खातों के संबंध में, विवेकपूर्ण ढांचे के प्रावधान बिना किसी संशोधन के लागू होंगे। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

खआस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

i) रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2020 को उधार देने वाली संस्थाओं को 01 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच सभी सावधि ऋण किस्तों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति दी।

ii) नकद क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में विनियामक पैकेज को 01 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक की अवधि के दौरान लागू ब्याज की वसूली को स्थगित करने की अनुमति दी गई है।

iii) एनबीएफसी, जिन्हें भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) का अनुपालन करना आवश्यक है, को हानि निर्धारण के लिए उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की सलाह के अनुसार निर्देशित किया जा सकता है।

iv) चूककर्ता लेकिन मानक खातों के संबंध में जहां प्रावधानों और परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ को बढ़ाया गया है, उधार देने वाले संस्थान ऐसे खातों के कुल बकाया के लिए सामान्य प्रावधान जो 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, करेंगे जिसे दो तिमाहियों में चरणबद्ध किया जाएगा। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

बासेल III फ्रेमवर्क के तहत एलसीआर

Covid19 महामारी के कारण बैंकों के नकदी प्रवाह पर बोझ को समायोजित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2020 को बैंकों को 01 जनवरी 2019 से 100 प्रतिशत की एलसीआर को बनाए रखने की सलाह दी, जिसमें निम्नानुसार है:

परिपत्र की तारीख से लेकर 30 सितंबर तक	80 प्रतिशत
01 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021	90 प्रतिशत
01 अप्रैल 2021 से आगे	100 प्रतिशत

अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा

रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2020 को सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करने का निर्देश दिया। यह निर्देश COVID-19 की वजह से बढ़ी अनिश्चितता के

वातावरण में पूंजी संरक्षण और हानि अवशोषण की क्षमता बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया था। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए बैंकों के वित्तीय परिणामों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंध का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर

रिज़र्व बैंक ने 01 अप्रैल 2020 को सूचित किया कि एक वर्ष या उससे पहले की अवधि के लिए प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है। 05 फरवरी 2015 को जारी दिशा-निर्देशों में रिज़र्व बैंक द्वारा सीसीवाईबी रूपरेखा निर्धारित की गई, जिसमें यह सूचित किया था कि सीसीवाईबी को परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय किया जाएगा और यह निर्णय सामान्य रूप से पूर्व-घोषित किया जाएगा। सीसीवाईबी रूपरेखा में मुख्य संकेतक के रूप में क्रेडिट-टू-जीडीपी अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ किया जाता है। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड

रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2020 को बैंकों को ओवरड्राफ्ट खाते, जो किसी विशिष्ट अंतिम-उपयोग प्रतिबंध के बिना व्यक्तिगत ऋण की प्रकृति के हैं, रखने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी। कार्ड ग्राहक को दी गई सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा और ऋणदाता के रूप में बैंकों के सामान्य अधिकारों के अधीन होगा। व्यक्तिगत ऋण की प्रकृति वाले ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का उपयोग केवल देश में लेनदेन के लिए करने की अनुमति दी जाएगी।अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

III. वित्तीय बाजार परिचालन

म्यूचुअल फंड के लिए एसएलएफ

रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2020 को ₹ 50,000 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड के लिए एक विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) का आरंभ किया:

i) एसएलएफ-एमएफ के तहत, रिज़र्व बैंक निर्धारित रेपो दर पर 90 दिनों की अवधि के लिये रेपो परिचालन आयोजित करेगा।

ii) एसएलएफ-एमएफ के तहत मिलने वाले फंड का उपयोग बैंकों द्वारा विशेष तौर पर एमएफ की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण विस्तार और एमएफ द्वारा धारित इन्वेस्टमेंट ग्रेड कार्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), डिबेंचर और जमा के प्रमाण पत्र (सीडी) की संपार्श्विक के खिलाफ एकमुश्त खरीद और / या पुनर्खरीद द्वारा किया जाएगा।

iii) एसएलएफ-एमएफ के तहत लाभ प्राप्त चलनिधि समर्थन एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए गए कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्र होंगे । अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

इस योजना के तहत विनियामक लाभों को 30 अप्रैल 2020 तक बैंकों के लिए विस्तारित किया गया था, भले ही वे रिज़र्व बैंक से धन का लाभ उठाएं या इस योजना के तहत अपने स्वयं के संसाधन तैनात करें। म्यूचुअल फंडों की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बैंक, निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर और जमा राशि के संपार्श्विक के खिलाफ एकमुश्त खरीद और एमएफ द्वारा रखे गए जमा के प्रमाण पत्र के तहत सभी नियामक लाभों का दावा करने के लिए पात्र होंगे। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

टीएलटीआरओ 2.0

रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2020 को ₹ 50,000 करोड़ तक की कुल राशि के लिए तीन वर्षों तक की अवधि के लिए पॉलिसी रेपो दर पर लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 आयोजित किए। इसका उद्देश्य चलनिधि की कमी और/या बाजार तक पहुंच में बाधा का सामना करने वाले क्षेत्रों तथा संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रणाली स्तर की चलनिधि के साथ-साथ लक्षित चलनिधि प्रावधान उपलब्ध करवाकर वित्तीय बाजारों और संस्थानों की अनुकूल वित्तीय स्थितियों और सामान्य कामकाज को बढ़ाने का प्रयास करना था। टीएलटीआरओ 2.0 के तहत मिलने वाली धनराशि को एनबीएफसी के निवेश ग्रेड बांड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में नियोजित किया जाएगा। इस सुविधा के तहत एक्सपोजर को बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत वापस नहीं गिना जाएगा। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

बाजारों के कार्य समय में संशोधन

COVID-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के मद्देनजर कर्मचारियों और आईटी संसाधनों की कमी के कारण गतिविधि के कमजोर हो जाने से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 03 अप्रैल 2020 को रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाज़ारों के कार्य के समय को संशोधित किया। बाजारों के कार्य का संशोधित समय 07 अप्रैल 2020 से अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

IV. सरकार का बैंक

ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का लाभ उठाना

रिज़र्व बैंक ने 07 अप्रैल 2020 को उन दिनों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया, जितने दिनों के लिए एक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) लगातार ओवरड्राफ्ट में रह सकता है। कोई भी राज्य/ संघ शासित क्षेत्र, जो वर्तमान में निर्धारित 14 कार्यदिवसों की निरंतर ओवरड्राफ्ट सुविधा ले रहे थे उसे बढ़ाकर 21 कार्य दिवस किया गया। कोई भी राज्य/ संघ शासित क्षेत्र, जो वर्तमान में एक तिमाही में 36 कार्यदिवसों की निर्धारित ओवरड्राफ्ट सुविधा ले रहे थे उसे बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर

दिया गया है। यह व्यवस्था 30 सितंबर 2020 तक वैध रहेगी। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना

रिज़र्व बैंक ने 13 अप्रैल 2020 को सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो प्राप्तकर्ता कार्यालयों, बीएसई / एनएसई, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को एक ही स्थान पर सभी वर्तमान परिचालनात्मक निर्देशों की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करते है। इन बांडों की सर्विसिंग करनेवाले प्राप्तकर्ता कार्यालयों को इन निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। निर्देशों को पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

V. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम की बचाव व्यवस्था (हेजिंग)

घरेलू विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न बाजारों तक पहुंच आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने 07 अप्रैल 2020 को जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक लेनदेनों में विदेशी मुद्रा जोखिम की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) पर निर्देशों को अंतिम रूप दिया। निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i) सभी निवासियों और अनिवासियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का एकल एकीकृत सुविधा में विलय;

ii) उपयोगकर्ताओं को अब किसी भी उपलब्ध साधन का उपयोग करके वैध एक्सपोज़र लेने और हेज करने की अनुमति है;

iii) प्रत्याशित एक्सपोज़र को हेज करने की सुविधा शुरू की गई है;

iv) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव की पेशकश करने के लिए अधिकृत डीलरों के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं।

सार्वजनिक टिप्पणियों और ऑफशोर रुपी मार्केट्स पर टास्क फोर्स की सिफारिशों को ध्यान में रखने के बाद निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। विस्तृत दिशा-निर्देश पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. मौद्रिक नीति

एमपीसी बैठक के कार्यवृत्त

रिज़र्व बैंक ने 24, 26 और 27 अप्रैल 2020 के दौरान आयोजित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 22 वीं बैठक के कार्यवृत्त 13 अप्रैल 2020 को पब्लिक डोमेन पर रखे।

यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, सभी सदस्यों ने नीतिगत रेपो दर में कमी और विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID -19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए वोट किया। डॉ. रविन्द्र एच. ढोलाकिया, डॉ. जनक राज, डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, श्री शक्तिकांता दास ने नीतिगत रेपो दर में 75 बीपीएस की कटौती के लिए वोट किया। डॉ. चेतन घाटे और डॉ. पामी दुआ ने नीतिगत रेपो दर में 50 बीपीएस की कटौती के लिए वोट किया।पूरे कार्यवृत्त पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2020 के लिए मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की

रिज़र्व बैंक ने 09 अप्रैल 2020 को अर्धवार्षिक रिपोर्ट 'मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) अप्रैल 2020' जारी किया । एमपीआर की मुख्य बातें हैं:

i) समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण

दुनिया भर के वित्तीय बाजार अत्यधिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं; वैश्विक वस्तुओं की कीमतों, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। COVID-19 भारत में आर्थिक गतिविधियों को लॉकडाउन के कारण सीधे रूप से और वैश्विक व्यापार और विकास के माध्यम से दूसरे दौर के प्रभावों के माध्यम से प्रभावित करेगा । मुद्रास्फीति पर COVID-19 का प्रभाव अस्पष्ट है, आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण गैर-खाद्य पदार्थों की कीमतों में संभावित लागत-वृद्धि खाद्य कीमतों में संभावित गिरावट से प्रभावित हो जाने की संभावना है।

ii) मूल्य और लागत

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच बढ़ी, जो कि सब्जी मूल्य विशेष रूप से प्याज की कीमत में उछाल से प्रेरित थी और फरवरी में संशोधित होने से पहले दिसंबर में उसने ऊपरी सहिष्णुता सीमा को तोड़ दिया। ईंधन की कीमतें दिसंबर में अपस्फीति से बाहर निकलीं। खाद्य और ईंधन को छोड़कर उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) अक्टूबर में एक ऐतिहासिक निम्न स्तर को छूने के बाद लागत-वृद्धि कारकों के कारण बढ़ गई।

iii) मांग और उत्पादन

निवेश संकुचन और दूसरी छमाही में सरकारी व्यय में सुधार के कारण 2019-20 में कुल मांग की स्थितियों में तीव्र गिरावट हुई। सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा में देर से उछाल और भारी उत्तर-पूर्वी मानसून वर्षा से आपूर्ति पक्ष में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में तेजी आई। हालांकि, विनिर्माण गतिविधियों में मंदी के कारण औद्योगिक विकास में गिरावट आई।

iv) वित्तीय बाजार और चलनिधि स्थितियां

घरेलू वित्तीय बाजार उभरते घरेलू और वैश्विक विकास और जनवरी 2020 के अंत में भारत में COVID-19 के प्रकोप से अत्यधिक प्रभावित रहे। बाजार में फरवरी की शुरुआत में अस्थिरता बढ़ी, जिसका मार्च में व्यापारिक गतिविधि में तेज गिरावट के साथ जब्ती की स्थिति में समापन हुआ। सुरक्षित पनाहगाह परिसंपत्तियों की तलाश और सुरक्षा की ओर अंतरण के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर पूंजी का बहिर्वाह हुआ जिसने इक्विटी बाजारों को एक अप्रचलित चक्र (टेलस्पिन) में डाल दिया और भारतीय रुपये पर तेज मूल्यह्रास दबाव डाला।

v) बाह्य परिदृश्य

प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक गतिविधि नरम रही। मौद्रिक नीति अत्यधिक निभावकारी बनी हुई है क्योंकि दुनिया भर के अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों उपायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सुविधाजनक रुख का सहारा लिया है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।